IS15700:2018

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, रूहेलखण्ड–4

द्वितीय तल, कामर्शियल काम्पलेक्स,शिवाजी चौक राजेन्द्र नगर बरेली।

E-mail ID : bareillycd@gmail.com, cu.bareilly@gmail.com

गुणवत्ता प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्र सं0– 2003 / नी.8 / 208 दिनांक– 11/11/2024

नीलामी सूचना

परिषद द्वारा संचालित की जा रही सिविल लाइन्स योजना सं0–2 भाग–1 बदायूँ कार्यालय में स्थित आम का एक नग हरे वृक्ष के विक्रय हेतु नीलामी की प्रकिया दिनांक 26.11.2024 की अपरान्ह 1.00 बजे प्रारम्भ की जायेगी, सील्ड बिड उसी दिन अपरान्ह 12.30 तक प्राप्त करायी जा सकती हैं, जिन्हें उसी दिन बोली के उपरान्त सभी के समक्ष खोली जायेगी

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	धरोहर धनराशि	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	नीलामी स्थल
01.	सिविल लाइन्स योजना सं0–2 भाग–2 बदायूँ के प्लाट सं0 110 में स्थित 01 नग वृक्ष	01 नग आम	रू0 1000.00	रू0 18880.00	उपखण्ड कार्यालय सिविल लाइन्स योजना सं0–2 भाग–1 बदायूँ

नीलामी हेतु ऑफर की शर्ते एवं विवरण

1. नीलामी में भाग लेने हेतु टोकन (धनराशि रू0 200) लेना अनिवार्य होगा, जिसे नीलामी सूचना की तिथि से पूर्व दि0 25.11.2024 को 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकता है।
2. सील्ड बिड के साथ धरोहर धनराशि रू0 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) जो कि सी0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जो अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–रूहेलखण्ड–04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, राजेन्द्र नगर, बरेली के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। बिना धरोहर धनराशि के बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. नीलामी हेतु आम के पेड़ की न्यूनतम मूल्य रू0 18880.00 आरक्षित है जिससे अधिक का ही आफर मान्य होगा।
4. दरों की वैधता हेतु आफर के साथ रू0 100.00 (रूपया एक सौ मात्र) का नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर जिस पर एक रूपये का हस्ताक्षरित रसीदी टिकट सहित लगाना अनिवार्य है।
5. नीलामी के संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड रूहेलखण्ड–04,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद राजेन्द्र नगर बरेली का निर्णय अंतिम होगा।
6. उक्त पेड़ की नीलामी जहाँ है जैसे है के आधार पर की जा रही है तथा आफरदाता दरें देने से पूर्व स्थल पर वृक्ष का निरीक्षण कर सकते हैं। उक्त पेड़ योंजना सं0–2 भाग–2 उपखण्ड– कार्यालय बदायूँ में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
7. विक्रय के संदर्भ में उपरोक्त दरें जी0एस0टी0 सहित निर्धारित की गयी हैं जी0एस0टी0 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कर, जो देय होगा, आफरदाता को स्वयं अतिरिक्त रूप से वहन करना होगा।
8. उच्चतम ऑफरदाता /बोली दाता को आफर में दी गई धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी पूर्ण होने की तिथि को ही नगद खण्ड कार्यालय में जमा करना होगा।
9. आफरदाता/बोली दाता द्वारा आदेश निर्गत तिथि से 7 दिनों के अन्दर अवशेष धनराशि नगद/पे–आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से खण्ड कार्यालय में जमा करनी होगी,जो कि अधि ाासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–रूहेलखण्ड–04, बरेली के नाम से बन्धक हो अन्यथा पूर्व में आफरदाता द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि तथा जमा की गई 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. आदेश निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर सुरक्षित रूप से पेड़ को स्थल से हटाना होगा अन्यथा रू0 1000.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड रोपित किया जायेगा।
11. नीलामी केता को नीलामी शुदा वृक्ष के प्रकाश्ठ का अभिवहन यदि जनपद सीमा से बाहर किया जाता है तो प्रकाष्ठ का अभिवहन शुल्क वन एवं वन्य जीव प्रभाग बदायूँ में जमा करने के पश्चात अभिवहन पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. उक्त पेड़ को हटाते समय यदि किसी प्रकार की छति होती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

(नवीन कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 2003 / 309 / 208 दिनांक 11/11/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता पंचम वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बौद्ध विहार मुरादाबाद।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ के पत्र 298/22–1 बदायूँ दिनांक 17.10.2024 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि परिषद वेब साईट पर उक्त सूचना का प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. श्री पंकज गुप्ता, सहायक अभियन्ता/श्री आशीष शर्मा अवर अभियन्ता एवं श्री नवीन कुमार, अवर अभियन्ता उपखण्ड–बदायूँ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बरेली।
5. नोटिस बोर्ड

अधिशासी अभियन्ता